न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 268/2024

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 2550/2024]

[CNR No. UPFZ010069262024]

विपुल पाठक पुत्र सुरेश कुमार पाठक, निवासी जेहली पाठक का पुरवा थरियाकला, थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या।

.....आवेदक

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. आवेदक विपुल पाठक की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 268/2024, मुकदमा अपराध संख्या 4/2024, अन्तर्गत धारा 419, 420, 120 बी भा०दं०सं० एवं धारा 66 सी, 66 डी आई०टी०एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

2. आवेदक के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा अरूण यादव का यह कथन है कि वादी का क्रेडिट कार्ड इण्डसण्ड बैंक का है, जिसका कार्ड नम्बर 44128599515257 से अनअथराइज्ड ट्रान्जेक्शन फोन–पे रेन्टल बैंगलोर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर लिया गया है। वादी के क्रेडिट कार्ड से 50490 एवं 24480 रूपया काटने का मैसेज वादी को प्राप्त हुआ।

4. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम, जनपद अयोध्या में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना आवेदक एवं सह अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया।

5. आवेदक की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई अपराध न पाये जाने के कारण उनकी निरूद्धी नहीं की गयी है। वर्तमान विवेचक द्वारा उसके घर पर दबिश दी गयी और कहा गया कि वह अपनी जमानत करा ले, नहीं तो उसका चालान कर दिया

जायेगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि उसके पक्ष में इस न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित है। उसके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

6. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

7. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

8. आवेदक के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ छल व धोखाधड़ी करते हुये वादी के क्रेडिट कार्ड से 50,490 एवं 24,480 रूपये ट्रान्जेक्शन कर हड़प लिये जाने का आरोप है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक का नाम प्रकाश में आना कहा गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आवेदक के पक्ष में इस न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकाश में आये आवेदक विपुल पाठक द्वारा विवेचना में सहयोग किया जा रहा है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई सारवान तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता कि यदि अग्रिम जमानत पर आवेदक को अवमुक्त जाये तो वह गवाहों को तोड़ेगा, प्रभावित करेगा, विचारण में हस्तक्षेप करेगा अथवा कहीं बाहर पलायित करेगा। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये अग्रिम जमानत का संतोषजनक आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक विपुल पाठक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 268/2024, मुकदमा अपराध संख्या 4/2024, अन्तर्गत धारा 419, 420, 120 बी भा०दं०सं० एवं धारा 66 सी, 66 डी आई०टी०एक्ट, थाना साइबर क्राइम, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर निर्धारित शर्तों के अधीन मुकदमें के निस्तारण तक जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

(i) आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं

होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
फैजाबाद
JO CODE: UP1908

दिनांकः 09.12.2024